

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री हिरालाल गुर्जर पिता पेमा मुतबना नाना गुर्जर निवासी वाडी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती लसुबाई पुत्री नाना पत्नी अमरा गुर्जर निवासी खेमपुर तहसील मावली।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 21/21 (वाद) GCMS No. – 2021/42

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाडी पटवार हल्का आमली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 109, 9, 7, 4, 108, 44, 110, पर दर्ज आराजीयात भूमि में वादी का नाम हीरा पिता पेमा के बजाय हीरा पिता पेमा मुतबना नाना संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.12.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

